बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

का०आ०सं०–भवन–03 / स्था०–विविध–15 / 2025..... / पटना, दिनांक .....

–:: आदेश ::–

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में हुये बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के नवनियुक्त 32 (बत्तीस) कनीय अभियंता (असैनिक) को विभागीय आदेश संख्या–83–सहपठित ज्ञापांक–2426(भ) दिनांक–11.03.2025 द्वारा मुख्यालय से सीधे बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना में प्रतिनियुक्त किया गया। उक्त पदस्थापन / प्रतिनियुक्ति आदेश की कंडिका–12 में स्पष्ट रूप से अंकित है कि सभी नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का वेतन स्तम्भ–4 में अंकित भवन निर्माण विभाग में योगदान की तिथि से उनके पदस्थापन कार्यालय द्वारा देय होगा।

विभागीय पत्रांक–8351(भ) दिनांक–04.09.2025, स्मार पत्रांक–10367(भ) दिनांक–20.11.2025, पत्रांक–5309(भ) दिनांक–11.06.2026 एवं स्मार पत्रांक–6645(भ) दिनांक–17.07.2026 द्वारा गृह विभाग, बिहार, पटना एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को उक्त प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का क्रमशः HRMS पर Onboarding एवं नियुक्ति एवं पदस्थापन के बीच की अवधि का नियमानुसार वेतन भुगतान करने हेतु अनुरोध किया गया, परन्तु नवनियुक्त कनीय अभियंताओं का अबतक HRMS Onboarding तथा नियुक्ति एवं पदस्थापन के बीच की अवधि का वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है।

अतएव बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना में वर्तमान में प्रतिनियुक्त निम्नांकित 24 (चौबीस) नवनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) की सेवा अस्थायी रूप से निगम से वापस लेते हुये उन्हें स्तम्भ–3 में अंकित विभाग अन्तर्गत विभिन्न अंचलों / प्रमंडलों में निम्नरूपेण पदस्थापित किया जाता है :–

क्रम संख्या	बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रतिनियुक्त कनीय अभियंता (असैनिक) का नाम	अस्थायी रूप से नवपदस्थापन
1	2	3
1	सुश्री / श्रीमती प्रीती कुमारी	अग्रिम योजना प्रमण्डल संख्या–1, पटना
2	श्रीमती मणि भारती	पटना भवन प्रमण्डल, पटना
3	सुश्री / श्रीमती अनन्या श्रीवास्तव	गर्दनीबाग भवन प्रमण्डल, पटना
4	सुश्री / श्रीमती रश्मि	पटना भवन अंचल, पटना
5	सुश्री / श्रीमती पूजा कुमारी	संरचना प्रमण्डल संख्या–1, पटना
6	श्री मिथिलेश कुमार देशमुख	संरचना प्रमण्डल संख्या–2, पटना
7	अब्दुल रहमान अंसारी	संरचना प्रमण्डल संख्या–3, पटना
8	श्री जय कुमार मंडल	पाटलिपुत्र भवन प्रमण्डल, पटना
9	श्री राजीव रंजन सिंह	भवन प्रमण्डल, जमुई
10	सुश्री / श्रीमती ज्योति कुमारी	भवन प्रमण्डल, गया
11	श्री राकेश रौशन	भवन प्रमण्डल, मुंगेर
12	श्री मनीष कुमार	भवन प्रमण्डल, खगड़िया
13	श्री सुनिल कुमार सिन्हा	भवन प्रमण्डल, बेतिया
14	श्री गोरेलाल राजवंशी	भवन प्रमण्डल, औरंगाबाद
15	श्री राजू नंदन चौधरी	भवन प्रमण्डल, बक्सर
16	श्री अमरेन्द्र कुमार सिन्हा	भवन प्रमण्डल, शेखपुरा
17	श्री मन्टू कुमार	भवन प्रमण्डल, लखीसराय

18	श्री प्रवीण कुमार	भवन प्रमण्डल, कटिहार
19	श्री नरेश कुमार	भवन प्रमण्डल, भागलपुर
20	श्री सुमर पासवान	भवन प्रमण्डल, बांका
21	श्री हरिशंकर झा	भवन प्रमण्डल, पूर्णियां
22	श्री सुमन कुमार भारती	भवन अंचल, सुपौल
23	श्री अंकित कुमार	भवन प्रमण्डल, नवादा
24	श्री गोरखनाथ राम	पटना पश्चिम भवन प्रमण्डल, दानापुर

2. सभी कनीय अभियंता दिनांक–06.11.2026 तक संबंधित अंचल/प्रमंडल में योगदान दे देंगे तथा HRMS Onboarding, लंबित वेतन का भुगतान, सेवापुस्त खोलने आदि कार्यों के निष्पादन के उपरांत उन्हें बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में योगदान करने हेतु विरमित कर दिया जायेगा।

3. भवन निर्माण विभाग के संबंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त कनीय अभियंताओं का HRMS पर Onboarding हेतु विहित प्रपत्र में सूचना वांछित अभिलेख सहित मुख्यालय को कनीय अभियंता के योगदान के उपरांत अविलंब उपलब्ध कराना एवं उनका सेवापुस्त खोलना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही कनीय अभियंताओं के नियुक्ति एवं पदस्थापन के बीच की अवधि का वेतन भुगतान तथा निगम से अस्थायी रूप से सेवा वापस लिये जाने एवं कंडिका–2 में अंकित कार्यों के निष्पादन के उपरांत प्रतिनियुक्त निगम/विभाग में योगदान करने हेतु विरमित करने के बीच की अवधि का नियमानुसार वेतन भुगतान करना भी सुनिश्चित करेंगे।

4. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–
(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– भवन–03/स्था०–विविध–15/2025.....पटना, दिनांक–

प्रतिलिपि–मुख्य सचिव, बिहार/सचिव, गृह विभाग/सचिव, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–
सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक– भवन–03/स्था०–विविध–15/2025.....1036(4).....पटना, दिनांक– 02/11/26

प्रतिलिपि–सचिव के वरीय प्रधान आप्त सचिव/अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी अराजपत्रित स्थापना)/बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में प्रतिनियुक्त सभी कनीय अभियंता (असैनिक) एवं आई०टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।